तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
29/5/19	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। विपक्षीगण की ओर से जवाब काउण्टर क्लेम प्रार्थना पत्र पेश हुआ। नकल दिलायी गयी। पत्रावली वास्ते ~~[illegible]~~ बहस से दिनांक 3/7/19 को पेश हो। [signature]
3/7/19 [5/7/19] [signature]	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील वादी एवं प्रतिवादी की बहस सुनी गयी। दोनों पक्ष वादग्रस्त आराजी के मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु सहमत हुए हैं। परन्तु पत्रावली का अवलोकन कर अध्ययन किया गया तो पाया गया कि पत्रावली के संलग्न वर्तमान राजस्व का अभाव है। ऐसी स्थिति में यह ज्ञात नहीं हो रहा है कि विपक्षीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी को रहन, बय या अन्य तरीके से हस्तान्तरित की जाने से रोकी जावे। बिना किसी प्रमाणिक दस्तावेज एवं रेकार्ड के अभाव में किसी को रोका जाना न्यायोचित भी नहीं है। प्रार्थना पत्र में प्रमाणिक दस्तावेज का अभाव है। तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 52 का उल्लंघन होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार खारिज किया जाता है। पत्रावली कैफल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature]

Scanned by CamScanner